संख्या: 278 / स.क.–04–66(समाज कल्याण) / 2002

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2004

विषय: उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. को राष्ट्रीय निगमों से ऋण हेतु स्टेट गारण्टी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1104 / स्टेट गारण्टी / 2002–03, दिनांक 20–02–2003 एवं पत्र संख्या: 1582 / बहु.नि. / राज्य गारण्टी / 2003–04, दिनांक 23–01–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय चेनेलाईजिंग एजेन्सी उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि., राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि., राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. एवं राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम लि. से ऋण लिए जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक स्टेट गारण्टी स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

(धनराशि रूपये लाख में)

| क.सं. | राष्ट्रीय निगम का नाम | गारन्टी धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., | 500 |
| 2 | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि., | 100 |
| 3 | राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि., | 100 |
| 4 | राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., | 500 |
| 5 | राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. | 100 |
| 6 | राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम लि. | 200 |
| | योग : | 1500 |

1162
5/2/04

.................... 2

Khati-State Guarenty-Nigam

DGM AD

-15-

2– शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों पर फीस विषयक उत्तर प्रदेश शासन वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–बी–4–1094/दस–2000–10(28)/94, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 जो उत्तरांचल में भी लागू है, की व्यवस्था को शिथिल करते हुये उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. के पक्ष में स्टेट गारण्टी निर्गत करने के लिए गारण्टी शुल्क लिए जाने पर निगम को छूट प्रदान करने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– चैनेलाइजिंग ऐजेन्सी उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. ऋण नीति के तहत उक्त सभी राष्ट्रीय निगमों से नियमानुसार स्टेट गारण्टी के अनुबन्ध निष्पादित करेगें तथा उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4– राष्ट्रीय निगमों द्वारा दिए गए ऋण राशि की नियमानुसार यथासमय वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय आदेश संख्याः 286/वित्त अनु–2/2003 दिनांक 25 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

( एस. के. मुट्टू )
प्रमुख सचिव

संख्याः 278 /स.क.–04–66(समाज कल्याण)/2002/तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
3 निजी सचिव, मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल।
4 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तरांचल देहरादून।
5 आयुक्त पौडी गढवाल/कुमाऊँ मण्डल उत्तरांचल।
6 निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
8 वित्त अनुभाग–2 ।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( गरिमा रौंकली )
अनु सचिव

bhatt-State Guarenty-Nigam